



## म. प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी,

बिहून मार्केट, भोपाल— 462016

फोन— 0755-2464643, 2430154 फैक्स— 4004137

वेबसाइट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) ईमेल [secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in)

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (टै) / 2023 / 2822

भोपाल, दिनांक 14/12/2023

### सार्वजनिक सूचना

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (रा.भ.प्रे.के.) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 32(3) सहपठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2006 तथा इसके संशोधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शुल्क तथा प्रभारों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। इसको आयोग ने **याचिका क्रमांक 59 / 2023** में पंजीकृत किया है। राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता की मांग का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	विवरण	राशि (रु. लाख में)
01	कर्मचारी व्यय	1459.76
02	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	298.98
03	मरम्मत एवं अनुदान व्यय	308.97
04	अवमूल्यन/अवक्षयण	0.00
05	ब्याज एवं वित्तीय खर्च	0.00
06	अंश पूँजी/निवेश पर प्रतिलाभ	0.00
07	आयकर हेतु प्रावधान	0.00
<b>कुल (क्र. 1 से 7)</b>		<b>2067.71</b>
08	घटाये: अन्य प्रभारों से आय (50%) प्रचालन एवं अनुसूचीकरण प्रभार, आवेदन शुल्क एवं संयोजन शुल्क)	257.40
09	घटाये: विविध आय	24.41
<b>कुल राजस्व आवश्यकता वर्ष 2024–25 हेतु</b>		<b>1785.90</b>

राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारों का आवंटन दीर्घ अवधि अनुबंध करने वाले वैयक्तिक अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच क्रेताओं (वितरण कंपनियाँ, एस.ई.जे.ड., इंदौर एवं डब्ल्यू.सी.आर., जबलपुर) हेतु आयोग द्वारा अवधारित कुल पारेषण क्षमता के अंशदान आवंटन के अनुपात में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 के खर्चों का सत्यापन भी याचिका में प्रस्तुत किया गया है।

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट [www.mperc.in](http://www.mperc.in) पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस संबंध में आपत्ति / टीप / विचार प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों को इसके समर्थन से संबंधित दस्तावेजों एवं साझों की प्रतियों के साथ सीधे सचिव म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, ई-5, अरेरा कालोनी, मेट्रो प्लाजा, बिहून मार्केट, भोपाल— 462016 को प्रेषित करते हुए याचिकाकर्ता के लिए इसकी एक प्रति मुख्य अभियंता, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर 482008 को प्रेषित करें, जो इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के अन्दर आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रतियाँ फैक्स (0755-4004137) एवं ईमेल ([secretary@mperc.nic.in](mailto:secretary@mperc.nic.in)) द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती हैं। इस संबंध में शपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति, याचिका की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांयकालीन 4.00 बजे तक आयोग के कार्यालय भोपाल अथवा राज्य भार प्रेषण केन्द्र कार्यालय, जबलपुर से रूपये 200/- की राशि का नगद भुगतान कर अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट जो कि जैसी स्थिति में हो, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भोपाल में देय हो या RAO MPPTCL COLLECTION ACCOUNT SLDC को जबलपुर में देय हो, से भी प्राप्त कर सकते हैं। डाक व्यय रूपये 50/- का अतिरिक्त भुगतान कर याचिका की प्रति डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा इस प्रकरण में जन-सुनवाई का आयोजन दिनांक **06/02/2024** को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित आपत्ति या टीप या विचार प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. आयोग को भेजकर उक्त जन-सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध गाईडलाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

**आयोग के आदेशानुसार  
सचिव**